महत्वपूर्ण विभागीय जांच परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक सी-6-5/94/3/एक

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः–विभागीय जांच में अपचारी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराना-तिथि निर्धारण।

संदर्भः–इस विभाग का परिपत्र क्र. सी/6-26/92/3/एक, दिनांक 20-8-1992।

इस ज्ञापन का उद्देश्य विभागीय जांच प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी सभी को उपलब्ध कराना है, अतएव अनुरोध है कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय।

2. म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में अपचारी को अपने बचाव के लिये दो अवसर दिये जाने का प्रावधान वर्ष 1984 तक था। प्रथम अवसर नियम-14(4) के अंतर्गत उसे आरोप पत्र जारी होने की स्टेज पर एवं दूसरा अवसर शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व, नियम-5(4) के अंतर्गत मिलता था। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा बचाव के दूसरे अवसर का प्रावधान समाप्त किया गया और उसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-15(4) का विलोपन कर दिया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में यूनियन आफ इंडिया विरुद्ध मोहम्मद रमजान खान (ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 471) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपचारी की जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य ठहराया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि प्रतिपादित सिद्धांत किस दिनांक से प्रभावी होगा। अब इसकी स्पष्ट व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान बैंच द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर ई. सी. आई. एल. हैदराबाद विरुद्ध के. करूणाकरण (1993/6-जे. टी. एस. सी.-11) के प्रकरण में दी गई थी एवं इसी निर्णय के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमाण्डेंट सी. आई. एस. एफ. विरुद्ध भोपाल सिंह (ए. आई. आर.-1994-ए. सी. 575) में पुनः व्याख्या की गई है. इस निर्णय की महत्वपूर्ण कंडिका-(5) का उद्धहरण निम्नानुसार है:–

"It will therefore, have to be held that notwithstanding the decision of the Central Administrative Tribunal in H. C. Patel's case [(1985) (2) 26 Guj LR 1985) (Supra)] And of the Gujrat high Court in Premnath K. Sharma's case [1988 (3) Serv LJ 449 (Supra)] and of the other courts and Tribunals, the law was in an unsettled condition till at least 20th November, 1990 on which day the Mohd. Ramzan Khan's case (AIR 1991 SC 471) was decided. Since the said decision made the law expressly prespective in operation the law laid down there will apply only to those orders of punishment which are passed by the disciplinary authority after 20th November, 1990. This is so, notwithstanding the ultimate relief which was granted there which, as pointed out earlier,

was per incurium, No order of punishment passed before that date would be challengeable on the ground that there was a failure to furnish the inquiry report to the delinquent employee. The proceedings pending in courts/tribunals in respect of orders of punishment passed prior to 20th November, 1990 will have to be decided according to the law that prevailed prior to the said date and not according to the law laid down in Mohd. Ramzan Khan's case (Supra)."

3. उपरोक्त का तात्पर्य यह है कि जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने की अनिवार्यता निम्नानुसार होगीः—

(अ) दिनांक 20-11-90 के पूर्व विभागीय जांच के जिन प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए बिना निर्णय लिया गया है, उनसे संबंधित विचाराधीन प्रकरणों में अब जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है और तत्समय लागू नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में पारित किये गये निर्णयों को मात्र इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि अपचारी को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदाय नहीं की गई थी। विभागीय जांच के न्यायालयीन मामलों में याचिकाओं के प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करते समय शासन के संबंधित विभागों/प्रभारी अधिकारी (ओ. आई. सी.) को विधि के उपरोक्त प्रावधानों को न्यायालयो के ध्यान में लाना चाहिए।

(ब) दिनांक 20-11-90 के पश्चात् विभागीय जांच के जो प्रकरण अभी विचाराधीन हैं, उनमें जांच प्रतिवेदन की प्रति अपचारी को उपलब्ध करवाकर, अभ्यावेदन प्राप्त करके ही अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा। इस तिथि के बाद निराकृत प्रकरणों में यदि जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदाय किये बिना निर्णय ले लिया गया है और अपचारी द्वारा अपील की जाती है, तो प्रकरण रिमाण्ड कर जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराकर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

4. सभी सक्षम/अनुशासनिक प्राधिकारी विभागीय जांच के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

विभागीय जांच का एक महत्वपूर्ण संदर्भ :—क्रमांक सी/6-2/94/3/एक, दिनांक 30-6-1994।

हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.